



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1436 वर्ष 2026

विशाल @ सौरभआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अमित कुमार विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री अमित कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री अरुण कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 286 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - हापुड़ देहात, जिला - हापुड़ में, विचारण के वंचित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि तत्पश्चात सूचनाकर्ता ने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि आवेदक ने उसके समक्ष न्यायालय-बाह्य इकबालिया बयान देते हुए कहा था कि उसने षड्यंत्र रचकर अपने पिता की हत्या की। तर्क दिया गया है कि उक्त आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 181 की दृष्टि से बाधित है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त न्यायालय-बाह्य इकबालिया बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलंब से दर्ज हुई है, क्योंकि आवेदक के पिता दिनांक 25.08.2025 से लापता थे और उनका शव दिनांक 26.08.2025 को मिला, इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट शव मिलने के दो दिन बाद दर्ज की गई।
7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 30.08.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य को विवादित नहीं कर सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्टया मुझे यह मामला आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक - विशाल @ सौरभ को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 19 जनवरी, 2026 सिद्धांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"